

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
(प्रशासन-1 अनुभाग)

संख्या ए. 11013/1/2021-प्रशा.1
दिनांक 04.01.2022

कार्यालय आदेश

विषय : नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार की रोकथाम हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति पर रोक के संदर्भ में।

संदर्भ: गृह मंत्रालय के आदेश संख्या. 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 27.12.2021

बायोमैट्रिक उपस्थिति के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या. 11013/9/2014-एस्टे.ए-3 दिनांक 3 जनवरी, 2022 के अनुसरण में उक्त मामले की समीक्षा की गई है तथा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों सहित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.01.2022 तक बायोमैट्रिक उपस्थिति स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अतः सभी अधिकारी/कर्मचारी अपनी उपस्थिति अपने विभाग/अनुभाग में उपलब्ध उपस्थिति पंजिका में अवश्य दर्ज करें। सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी कार्यालयावधि में मास्क अवश्य पहनें तथा कोविड-उपयुक्त नियमों का सख्ती से पालन करें।

यह कार्यालय आदेश निदेशक, रास्वापकसंस्थान की अनुमति से जारी किया जाता है।


(एस.के. गुप्ता)

अनुभाग अधिकारी (प्रशा.1)

प्रति प्रेषित:

1. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/ विभिन्न परियोजनाओं के नोडल अधिकारी/प्रभारी- कृपया अपने अधीनस्थ कार्यरत स्टाफ के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
2. प्रभारी कंप्यूटर केंद्र- कृपया उपर्युक्त आदेश संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. निदेशक के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
4. उप-निदेशक के वैयक्तिक सहायक

**The National Institute of Health and Family Welfare
(Administration-I Section)**

No.A.11013/1/2021-Admn.I

Dated the 04.01.2022


Office Order

Sub: Preventive measures to contain the spread of Novel Coronavirus (COVID-19) – suspension of Biometric attendance regarding.

Reference : MHA Order No.40-3/2020-DM-I(A) dated 27.12.2021.

In pursuance of the Office Memorandum No. 11013/9/2014-Estt.A-III dated 3rd January, 2022 issued by Department of Personnel and Training regarding biometric attendance. The matter has been reviewed and as a precautionary measures, it has been decided to suspend the marking of biometric attendance in all Ministries/Departments of the Government of India, including its attached/subordinate offices, with immediate effect till 31.01.2022. However, all the employees are required to mark their attendance in Attendance Registers to be maintained manually. All Heads of Department shall also continue to ensure that all employees wear masks, at all time, and follow COVID-appropriate behaviour strictly.

This issues with the approval of Director, NIHFw.



(S.K. Gupta)

Section Officer (Admn.I)

Copy to:

1. All Heads of Department/Section Heads/Nodal Officers of the various projects/ Incharge – with a request to bring it to the notice of all the staff working under them.
2. Incharge Computer Centre – with a request to upload the order on the website of the Institute.
3. SPA to Director, NIHFw
4. PA to Dy. Director (Admn.), NIHFw.